

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 5, there is one Amendment by Shri Sukhendu Sekhar Roy. Mr. Sukhendu Sekhar Roy, are you moving your Amendment?

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: No, Sir.

Clause 5 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 6, there is one Amendment by Shri Sukhendu Sekhar Roy. Mr. Sukhendu Sekhar Roy, are you moving your Amendment?

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: No, Sir.

Clause 6 was added to the Bill.

Clauses 7 and 8 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take the Supplementary List of Business. Shri Jayant Sinha.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 2014-15

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): Sir, I beg to lay on the Table, a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General), for the year 2014-15 (December, 2014).

GOVERNMENT BILLS — Contd.

The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1978 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।

अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ बोलूँ?

श्री उपसभापति : अगर बोलना है तो बोलिए। As you wish. If you want to speak, you can speak; or you can speak at the end.

श्री थावर चन्द गहलोत : उपसभापति जी, मैं दो मिनट बोलूंगा।

श्री उपसभापति : ठीक है, दो मिनट बोलिए।

श्री थावर चन्द गहलोत : माननीय उपसभापति महोदय, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा तथा सिक्किम में रहने वाली अनुसूचित जातियों के संबंध में हमें 12 संशोधन प्राप्त हुए थे, उन 12 संशोधनों पर एस.सी. आयोग ने, आर.जी.आई. ने और हमारे विभाग की संसदीय स्थाई समिति ने विचार-विमर्श किया। इन सबकी सहमति होने के बाद यह बिल प्रस्तुत किया गया था, लेकिन लोक सभा भंग होने के साथ ही यह लैप्स हो गया था। इसको फिर से लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और लोक सभा ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। इसमें केरल में एक जाति “पल्लुवन” है, उसके लिए और भी शब्द हैं, इसका एक पर्यायवाची शब्द “पुल्लुवन” भी है, तो इसको जोड़ा गया है। इसी प्रकार से “तण्डान (ईयूवास और तियास को छोड़कर) और तच्चर” को जोड़ा गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में “दहाइत, दहायत, दहात” के साथ-साथ “दहिया” को जोड़ दिया गया है। पहले जो ओडिशा था, उसको आजकल सरकारी रिकॉर्ड में ओडिशा कहते हैं, इसलिए एक संशोधन यह भी है और ओडिशा में “अमान्त, अमात, दंडछत्र माझी”, जो पहले से उल्लेखित है, परन्तु इसी का पर्यायवाची “अमाता और अमाथ” जोड़ा गया है। “बेढ़िया, बेजिया” के साथ “बाजिया” जोड़ दिया गया है। “जग्गली”, के साथ “जग्गिली और जगली” जोड़ा गया है। “पाण, पाणों, बुन पाण देसुआ पाण” के साथ “बुना पाणों” भी जोड़ दिया गया है। त्रिपुरा में “चमार, मूची” के साथ “चमार-रोहिदास, चमार-रविदास” जोड़ा गया है। त्रिपुरा में ही “धोबा” को धोबी भी बोला जाता है, इसलिए “धोबी” भी जोड़ दिया गया है। “जेलेया कैबर्त” के साथ-साथ “झालो-मालो” भी जोड़ा है। सिक्किम में “माझी” जाति को इसमें से विलोपित किया गया है, क्योंकि वहां के सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि हमने इस “माझी” जाति को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने की कार्यवाही की है, इसलिए इसको विलोपित किया जाए। इस संबंध में यह संशोधन विधेयक सदन के समक्ष है।

The question was proposed.

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मुझे अपर हाउस का सदस्य होने का सौभाग्य मिला है और इसी हैसियत से पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

[उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) पीठासीन हुए]

महोदय, यह संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विचाराधीन है, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है, लोक सभा से पास होकर यहां पहुंचा है। यह पुराना संदर्भ है यह बिल 2012 में पेश हुआ था जिसके बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया था। और

[श्री पी.एल. पुनिया]

पन्द्रहवीं लोक सभा का कार्यकाल समाप्त होने के कारण यह बिल लैप्स हो गया था। अब यह विधेयक दुबारा यहां पर हम लोगों के पास विचारार्थ पहुंचा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 341 के अंतर्गत अगर अनुजाति सूची में कोई संशोधन करना है या जोड़ना है या सूची से निकालना है, तो वह पार्लियामेंट के द्वारा कानून पास करने के बाद ही हो सकता है और इसीलिए यह विधेयक हम लोगों के सामने आया है। यह विधेयक पांच राज्यों से संबंधित है, जिसमें एक राज्य सिक्किम से एक जाति का विलोप होना है और बाकी केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा से संबंधित है। इसमें 14 संशोधन हैं। आजादी के बाद संविधान लागू हुआ और आर्टिकल 341(1) के अनुसार यह प्रावधान है और उसी के अनुसार प्रथम सूची यानी मूल सूची की विज्ञप्ति राष्ट्रपति जी के माध्यम से जारी की जाएगी और वह भी संबंधित राज्य के महामहिम राज्यपाल की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाएगी, वह 1950 में जारी हुई। भारत के संविधान के आर्टिकल 341(2) के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि यदि इस सूची में संशोधन करना होगा, तो राष्ट्रपति महोदय को वह अधिकार नहीं है, वह अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को होगा। इसीलिए यह बिल हम लोगों के सामने आया है। मूल सूची संविधान के आर्टिकल 341(1) के अन्तर्गत 1950 में बनी थी। उसके कुछ समय बाद यह महसूस किया गया कि कुछ जातियां इसमें छूट गई हैं। बहुत सी जातियां, जिनके नाम उसी तरह के हैं, लेकिन उनका नाम उस सूची में मेशन नहीं हुआ। बहुत सी ऐसी जातियां, जो एक क्षेत्र में किसी नाम से पुकारी जाती हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में दूसरे नाम से पुकारी जाती हैं, इसीलिए समय-समय पर उसमें संशोधन होता रहा है। वैसे देखा जाए, तो लगता है कि यह बहुत साधारण सी बात है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस सूची में सम्मिलित होने के बाद उनकी आकांक्षाएं पूरी होती हैं और उन्हें अलग से सुविधाएं मिलती हैं। सुविधाओं में सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है। उसके अन्तर्गत पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आरक्षण की सुविधा मिलती है। स्कूलों में दाखिले में उन्हें आरक्षण की सुविधा मिलती है। पढ़ने-लिखने के बाद अगर नौकरी करनी है, तो तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर्स में भी उन्हें सुविधा मिलती है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के माध्यम से जो पैसा उपलब्ध होता है, वह सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के कल्याण की जो योजनाएं हैं, उन पर खर्च होना चाहिए, वह धनराशि भी इनके ऊपर खर्च होनी प्रारम्भ हो जाती है।

महोदय, स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव में भी सीटें आरक्षित होती हैं। विधान सभा और लोक सभा की सीटों में भी आरक्षण होता है। जिस दिन ये जातियां उस सूची में सम्मिलित हो जाती हैं, उसी दिन से ये सारी सुविधाएं उन्हें मिलनी शुरू हो जाती हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए, अनेक प्रदेशों से मांग आती है और अनेक जातियों की तरफ से डिमांड आती है कि उन्हें भी अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए। राज्य सरकारें भी विभिन्न कारणों से अपने प्रस्ताव भेजती हैं और कहती हैं कि ये इतने गरीब हैं, लेकिन इनका नाम अनुसूचित जाति में नहीं है, इसलिए इन्हें भी उस सूची में शामिल किया जाए। देखा जाए, तो उनकी बात सही है, लेकिन इन सबको देखते हुए, भारत सरकार ने इसके लिए मानक निर्धारित किए और एक 'लुकर कमेटी' बनी। 'लुकर कमेटी' द्वारा सभी जगह अध्ययन करने के बाद कुछ मानक निर्धारित किए। उन मानकों में मुख्य हैं- extreme social, educational, economic backwardness arising out of

traditional practice of untouchability, जिनके साथ छुआछूत का बर्ताव होता है और उसके कारण जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन है, उसके आधार पर वह जाति उस सूची में सम्मिलित होने की पात्रता रखती है। सामान्यतः जो गरीब है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास झोंपड़ी भी नहीं है, उसके आधार पर जो मानक निर्धारित किए हैं, मात्र उसके आधार पर ही अनुसूचित जाति में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होती। इसीलिए बहुत से ऐसे प्रस्ताव जो राज्य सरकारों से आते हैं, वे नहीं माने जाते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और सुझाव देना चाहता हूं कि बहुत सी राज्य सरकारों को इसकी जानकारी नहीं होती कि क्या-क्या मानक हैं, इसलिए मानकों की जानकारी राज्य सरकारों को विस्तार से दे देनी चाहिए। इसके साथ-साथ, किसी प्रदेश में एक जाति अनुसूचित जाति में है और वही जाति दूसरे प्रदेश में पिछड़ा वर्ग में है, तो इससे भ्रान्ति फैलती है। राज्य सरकारों को तो जानकारी नहीं है कि कौन सी जाति किस प्रदेश में किस सूची में है, लेकिन केन्द्र सरकार को तो यह जानकारी है। केन्द्र सरकार के पास जब प्रस्ताव आता है, तो वह देख सकती है कि किस प्रदेश में वह अनुसूचित जाति में है, किस प्रदेश में वह बैकवर्ड क्लास में है। केन्द्र सरकार कुछ इस तरह के मानक बनाए और सभी प्रदेशों में उसे circulate कर दे, उसकी जानकारी दे दे, ताकि इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाए जिससे पूरे देश में एकरूपता रहे।

सर, केन्द्र सरकार ने एक प्रक्रिया भी निर्धारित की है कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव, जो सूची से निकालने या सूची में सम्मिलित करने के लिए हो, उसके लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव होना अनिवार्य है। राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में उसका परीक्षण करके रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को उनकी ओपिनियन के लिए भेज दिया जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से अगर पॉजिटिव रिकमंडेशन आती है, तो मंत्रालय उसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को ओपिनियन के लिए भेज देगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से भी अगर पॉजिटिव रिकमंडेशन आती है तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा परीक्षण करने के बाद, मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन लेने के बाद पार्लियामेंट में वह बिल प्रस्तुत किया जाता है और बिल की जो प्रक्रिया है, उसको फॉलो किया जाता है।

सर, माननीय मंत्री जी से मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि यह जो प्रस्ताव आया है, यह बहुत पुराना प्रस्ताव है, लेकिन आज पास किया जा रहा है, जिसकी मुझे खुशी है। बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारा नाम अनुसूचित जाति में आने वाला है, हमको यह सुविधा मिलेगी, तो इससे उनको बड़ी खुशी होगी और उस खुशी में हम लोग भी सम्मिलित हैं, लेकिन बहुत से ऐसे प्रस्ताव और भी हैं, जिनकी आर.जी.आई. की तरफ से रिकमंडेशन आ गई, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से भी रिकमंडेशन आ गई, लेकिन वे अभी प्रोसेस में हैं, तो माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि उनका भी तेजी से परीक्षण करके अनुमोदन करा दिया जाए। राज्य सरकारें जब भी इस तरह के प्रस्ताव भेजती हैं कि इन जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर दिया जाए, तो वे कर देते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ मैं समझता हूं कि राज्य सरकार से भी यह रिकमंडेशन लेनी चाहिए, उनके प्रस्ताव में सहमति सम्मिलित होना चाहिए कि अगर कोई नई जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाता है, तो उतने प्रतिशत अनुसूचित जाति में आरक्षण का प्रतिशत भी बढ़ाया जाएगा। यह बढ़ना चाहिए।

[श्री पी.एल. पुनिया]

दूसरे, 2001 के राष्ट्रीय सेन्सस में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 16.2 था और अनुसूचित जनजाति का 8.2 था। 2011 के सेन्सस के हिसाब से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.6 प्रतिशत है और अनुसूचित जनजाति की 8.6 प्रतिशत है, लेकिन सरकारी नौकरियों में और अन्य मानकों के लिए अनुसूचित जाति का आरक्षण केवल 15 परसेंट ही है और अनुसूचित जनजाति का साढ़े सात परसेंट है। यह बहुत कम है। मेरा अनुरोध है कि बहुत समय बीत गया है, 15 परसेंट आरक्षण का मानक बहुत पुराना है, साढ़े सात परसेंट अनुसूचित जनजाति का मानक बहुत पुराना है, इसलिए इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए और वर्तमान में अनुसूचित जनजाति को परसेंटेज है, 16.6 परसेंट, वह आरक्षण के लिए लागू किया जाना चाहिए। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और संशोधित आदेश जारी किए जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : पुनिया जी, क्योंकि यह आपकी मेडन स्पीच है, इसलिए आपको बोलने के लिए तीन मिनट और मिलेंगे।

श्री पी.एल. पुनिया : धन्यवाद माननीय मंत्री जी बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और समाज की सोचते हैं, लेकिन सरकार की सोच भी अच्छी होनी चाहिए। हमारा यह मानना है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण एक दिशा निर्देश होता है। वह नीति का उद्बोधन होता है और इस राष्ट्रपति अभिभाषण में जो कहा गया है वो सुनिए- “We shall create an enabling eco-system of equal opportunity... यह अनुसूचित जाति के लिए कहा है। “We will create an enabling eco-system of equal opportunity in education, health and livelihood, so that they are able to avail on-going opportunity.” यह कौन सा सेटलाइट बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से सबको बराबर-बराबर बंटवारा हो जाएगा और ये योजनाएं हैं, उनका लाभ वे अपने आप लेते रहेंगे? कहते हैं हम उनको पात्र बनाएंगे, सिर्फ यही है। कोई विशेष योजना का या विशेष बल देने का प्रावधान इसमें नहीं किया गया तथा इस समाज को स्पेशल योजना की जरूरत नहीं है। Education, health or livelihood, उसके अलावा किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। जो हर रोज अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान होता है, जो social disability है, जो सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी है, उसको दूर करने के लिए क्या विशेष योजना बनायी जाएगी, उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि इस बारे में विशेष ध्यान देने और विशेष योजनाओं की जरूरत है। माननीय मंत्री जी अपने जवाब में इस पर विशेष बल देंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। सर, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 26 नवम्बर 1949 को, जब संविधान पर आखिरी बहस चल रही थी, उस समय कहा था कि हमें बड़ी खुशी है कि आज हम राजनीतिक अधिकारों की बराबरी दे रहे हैं, वोट का अधिकार बड़े से बड़े धनाढ्य व्यक्ति और गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए बराबर है, उसकी वैल्यू बराबर है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी हम लोगों के लिए चुनौती है और आगे आने वाली सरकारों के लिए भी चुनौती होगी। जितना जल्दी हो सके, इस चुनौती को स्वीकार करके गैर-बराबरी खत्म करनी होगी, अन्यथा यह संवैधानिक ढांचा ध्वस्त हो जाएगा। एक चेतावनी के रूप में उन्होंने यह बात कही थी। उसको दूर करने के लिए आर्थिक दृष्टि से, उनके आर्थिक उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए Special Component

Plan की व्यवस्था की गयी थी। आर्थिक कमजोरी है, जमीन नहीं है, व्यापार नहीं है, केवल आरक्षण के माध्यम से नौकरियां और छोटे-मोटे कारोबार, वही सब है। Special Component Plan के माध्यम से प्रयास किया गया कि आर्थिक उन्नति हो, आर्थिक विकास हो और भी अनुभव किया गया कि इस विषय पर कानून बनना चाहिए। पिछली सरकार में कुछ प्रयास हुआ कि Special Component Plan सही ढंग से लागू हो और निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। आन्ध्र प्रदेश और कर्णाटक में कानून बना, केन्द्र सरकार में भी कानून बनना चाहिए, Special Component Plan Act बनना चाहिए। Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, पिछली सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किया था और उस ऑर्डिनेंस की जगह कानून बनना था। 16वीं लोक सभा के सामने एक बिल के रूप में उसे पेश किया गया, लेकिन पास करने के बजाय उसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया। एक बहुत प्राथमिकता का यह कानून था, ऑर्डिनेंस था, इसीलिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। मैं समझता हूँ कि यह जल्दी से जल्दी कानून बने। इसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैकलॉग वेकेंसीज़ का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। जगह-जगह, हर विभाग में पिछली सरकार ने एक अभियान चलाया था, वर्तमान सरकार द्वारा भी यह अभियान चलना चाहिए। बैकलॉग पूरा नहीं हुआ है, यह पूरा होना चाहिए। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा है, लेकिन यह पूरी व्यवस्था केवल Executive order से है। उसमें कोई कानून नहीं है। इसी वजह से जगह-जगह पर न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट में, high courts में इसकी अलग-अलग व्याख्या की जाती रही है, उसमें स्टे ऑर्डर जारी किए जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कानून बने और वह जल्दी से जल्दी आए। यह बिल राज्य सभा से पास हो गया, लोक सभा में कुछ संशोधनों के साथ इसे पास होना है। उस पर भी आम सहमति हो गई थी। हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वे उसको भी शीघ्रता से पास करा दें। अब सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं। आपने देखा होगा कि अब कांट्रैक्ट सिस्टम, आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों को नौकरी पर रखा जाता है। पहले अनुसूचित जाति के लोग नौकरियों में क्लास थ्री और क्लास फोर में जाते थे, अब उनके सभी रास्ते बंद हो गए हैं। अब ज्यादातर रोजगार के साधन प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध हैं। वहां पर आरक्षण की सुविधा नहीं है इसलिए वहां पर इनको नहीं रखा जाता है। वे कहते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर हैं, हम पूछना चाहते हैं कि वे कैसे प्राइवेट सेक्टर हैं? आप पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग्स से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स से, बैंकों से लोन लेते हैं, यहां तक कि इक्विटी, शेयर होल्डिंग में भी पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स देते हैं। बड़ी मुश्किल से प्राइवेट इंटरप्रेन्योर पांच-दस परसेंट पैसा लगाता है और बाकी पूरा पैसा सरकारी संस्थाओं के माध्यम से लगता है। इसलिए ये कैसे प्राइवेट सेक्टर हैं? इसको देखते हुए वहां भी आरक्षण की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : धन्यवाद। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री पी.एल. पुनिया : सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जुडिशियरी में भी आरक्षण की सुविधा होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और समय-समय पर इसके ऊपर चर्चा हुई है। यहां तक कि आई.ए.एस. है, आई.पी.एस. है, आई.एफ.एस. है, सब तरह की सर्विसेज़ हैं। इंडियन जुडिशियल सर्विस में 1977 में संविधान में अमेंडमेंट हो चुका है, वह संविधान का हिस्सा

[श्री पी.एल. पुनिया]

है, लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमें बड़ी खुशी है कि अभी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने एक सोशल जस्टिस बैंच की स्थापना की है। यह एक अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि जुडिशियरी में भी आरक्षण की व्यवस्था में भी शुरुआत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज शैड्यूल्ड कास्ट से संबंधित नहीं है और हाई कोर्ट्स में 850 जजों की संख्या है, उसमें से केवल 20 शैड्यूल्ड कास्ट से संबंधित जज हैं। यह जो विसंगति है, इसको दूर करना चाहिए। ...**(समय की घंटी)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : ठीक है, धन्यवाद।

श्री पी.एल. पुनिया : क्योंकि बहुत जगह जब हमें न्याय की आवश्यकता होती है, तो हमको न्याय मिलता नहीं है। ...**(समय की घंटी)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : श्री तरुण विजय जी।

श्री अम्बेथ राजन : सर, इनकी मेडन स्पीच है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : इन्हें ज्यादा समय दे दिया है। जितना समय था, उससे बहुत ज्यादा समय मिल गया है। अभी बिल पर चर्चा खत्म करनी है।

श्री पी.एल. पुनिया : सर, जिस तरह से भेदभाव होता है, मैं बताना चाहूंगा कि मद्रास हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के कार्यालय में आते हैं और वे बताते हैं कि मेरे साथ मेरे colleagues भेदभाव करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं तो जबाबदेही होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि आरक्षण न्यायपालिका भी हो, प्रतिनिधित्व पर्याप्त संख्या में हो जिससे हमें न्याय मिल सके।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : धन्यवाद। श्री तरुण विजय जी। ...**(व्यवधान)**... नहीं- नहीं। Please, Mr. Punia.

SHRI P.L. PUNIA : Just one minute, Sir. ...**(Interruptions)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHNDU SEKHAR ROY) : I have already allowed him 20 minutes. I have allowed 20 minutes.

श्री पी.एन. पुनिया : माननीय मंत्री जी, आपको अवसर मिला है और यह अवसर बार-बार नहीं मिलता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : आप जनरल डिस्कशन बाद में कीजिएगा।

श्री पी.एल. पुनिया : हर एक को अवसर भी नहीं मिलता है। हमने बहुत प्रयास किया, बहुत काम किया, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ थीं। हमारे पास बहुमत नहीं था। आपके पास लोक सभा में बहुमत है और यह अवसर है। पूरा समाज आपकी तरफ देख रहा है। आपसे निवेदन है कि जितने

भी बिंदु हमने उठाए हैं, आप उन पर विशेष रूप से ध्यान दें। मुझे पुरी उम्मीद है कि आप प्रयास करेंगे, तो इसमें कामयाबी हासिल होगी। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : धन्यवाद। श्री तरुण विजय जी। आपकी पार्टी की ओर से दो स्पीकर बोलेंगे और टाइम सिर्फ 10 मिनट है।

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 के समर्थन में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह आश्चर्य की बात है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारी जो अनुसूचित जातियां हैं, उनके अनेक वर्ग अभी भी शामिल किए जा रहे हैं और बड़े साधारण से शब्दों का परिवर्तन होता है, जैसे दहाइत, दहायत, दहात और दहिया। जो तण्डान हैं, तियास केरल में होते हैं, जिनके बारे में स्वामी विवेकानन्द ने बड़ी संवेदना के साथ कहा था। जो हिन्दुओं के बीच व्याप्त छुआछूत की भावना है, उन्होंने उसके ऊपर बड़े तीखे प्रहार किए थे। उसको सुनकर तथाकथित उच्च वर्ग के लोग काफी तिलमिला गए थे। जो तियास है, यहां कहा गया है कि बढ़ई, जो तत्कालीन कोचीन और ट्रावनकोर राज्य में तच्चन के नाम से ज्ञात हैं और तच्चर से भिन्न हैं। अब एक ही शब्द का फर्क है, जिसके आधार पर यह परिवर्तन किया जा रहा है। इसी प्रकार पाण, पाणों, बुना पाण, देसुआ पाण, बुना पाणों, इन तमाम शब्दों को जो जोड़ा जा रहा है, यह इसी उद्देश्य से जोड़ा जा रहा है कि जो वर्ग अनुसूचित जातियों में इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको कुछ लाभ हो और वे कुछ प्राप्त कर सकें। वे प्रगति का कुछ लाभ उठा सकें और विकास के पथ पर आगे बढ़ सकें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत में अनुसूचित जातियों का लगभग 20 करोड़ से अधिक का आकलन है। अभी भी उनको 67 वर्षों के उपरांत जिस प्रकार के अन्याय, अत्याचार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, वह राजनीतिक छुआछूत से कहीं अधिक है। राजनीति में भी वैचारिक अस्पृश्यता है, जिसका हम लोग शिकार रहे हैं और हम अनुभव कर सकते हैं। हम जब अपने तथाकथित बड़ी जाति का होने के अहंकार के प्रतिष्ठान से उनके बारे में संवेदना के शब्द व्यक्त करते हैं, तो पर्याप्त होते नहीं हैं इसलिए पर्याप्त नहीं होते क्योंकि जैसा माननीय अटल जी ने एक बार कहा था कि तुम जिनको छोटी जाति का कहते हो, वे तो पूज्य हैं क्योंकि उनका सम्मान सर्वाधिक होना चाहिए कि सदियों के अन्याय, अत्याचार, भेदभाव के बावजूद उन्होंने अपने अधिष्ठान को, अपने राम को, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। वे अहंकार के साथ कहते हैं कि उनकी जाति बड़ी है। अरे मूर्खों, जाति तो उनकी छोटी है, जो अहंकार के साथ अपनी जाति को बड़ा कहते हैं। किस शास्त्र ने कहा है कि तुम बड़ी जाति के हो और तुम्हें अधिकार मिल गया कि तुम दूसरों को कहो कि वे छोटी जाति के हैं। जो दूसरों को छोटी जाति का कहता है, असली छोटी जाति का वह होता है, जो अपने आप में बड़ी जाति का अहंकार रखता है। उनसे सवाल करना चाहिए कि तमाम छत्रपति साहू जी महाराज, अम्बेडकर, स्वामी विवेकानन्द और जो हमारे तमाम महामहोपाध्याय हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि वेदों में छुआछूत नहीं, उपनिषदों में छुआछूत नहीं, मनुस्मृति में छुआछूत नहीं, गांधी में छुआछूत नहीं, हम अस्पृश्यता नहीं मानते, तो अस्पृश्यता 2014 में क्यों है? जो लोग अस्पृश्यता के शिकार होते हैं, हम उन लोगों को ये सब पुस्तकें दिखाएं कि

[श्री तरुण विजय]

तुम अब आनन्द से रहो। उनको उत्तर मिलना चाहिए। हमारे रक्त में ये भेदभाव क्यों घुल गया कि हम पत्थरों को टनों दूध पिला देते हैं, हम नागपंचमी के दिन जगह-जगह सांप ढूंढने जाते हैं कि हम सांपों को दूध पिला दें, लेकिन इंसान के बच्चे दूध के लिए तरसते रह जाते हैं। जो हृदय में और अधरों पर राम नाम लेकर आता है, वह हमारी देहरी से बाहर रहता है, क्योंकि हम उसे कहते हैं कि तुम वह नहीं हो, उस जाति के नहीं हो, जिसका हम सम्मान कर सकें। इसलिए आवश्यकता है मन बदलने की।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक बालासाहब देवरस ने कहा था कि अगर अस्पृश्यता पाप नहीं है, तो कुछ भी पाप नहीं है। यह इतना बड़ा अधम और पातकी व्यवहार है, लेकिन उसके बावजूद आज हम क्या व्यवहार देखते हैं। मेरे पास दो दिसम्बर, तीन दिसम्बर और पांच दिसम्बर के समाचारपत्रों की कटिंग है। जब विद्यालयों में मिड डे मील बांटा जाता है, तो जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, उनकी अलग कतार बनाई जाती है और बाकी के बच्चों की अलग कतार बनाई जाती है। आप एक दिन भोजन की पंक्ति में खड़े हो जाइए, सिनेमा हॉल की पंक्ति में खड़े हो जाइए, कोई आप से आगे बढ़कर टिकट लेगा, तो आपको गुस्सा आएगा। ...**(समय की घंटी)**... आप सड़कों पर चलना बंद कर देते हैं, गुस्सा आता है और रोड रेज होता है, लेकिन यह जो सदियों से अन्याय होता आ रहा है, इसके विरुद्ध आक्रोश कौन पैदा करेगा? आप IITs का मामला देख लीजिए। IITs में लगातार दलित बच्चों की संख्या कम होती है। यह फ्रंट लाइन की एक रिपोर्ट है कि 1237 में से 773 अंडरग्रेजुएट सीटें छूट जाती हैं। The report suggests that close to half of the total seats reserved for SCs/STs remain vacant and that of those admitted a significant proportion, perhaps up to 25 per cent, is obliged to dropout. हम किस समावेशी, सर्वसमावेशी, समरस भारत की कल्पना करते हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : तरुण विजय जी, आप अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री तरुण विजय : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तमिलनाडु के दलित बच्चे, अनुसूचित जाति के बच्चे, स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन ये जो बड़ी जाति का अहंकार रखने वाले लोग होते हैं, ये उनकी कॉल्स नहीं लेते, उनकी ई-मेल्स का जवाब नहीं देते। वे वेल्लोर से धक्के खाकर दिल्ली में आएंगे, पैसा खर्च करेंगे, यहां तक कि गेस्ट-हाउस में रहेंगे, फिर आपसे इसको प्राप्त करेंगे। यह छुआछूत का भेद हमारी रगों में है। यह जो अस्पृश्यता का संकट है, इसके कारण से भारत का यह भूल गया है कि अगर सबसे ज्यादा पराक्रमी, वीर, साहसी, गीत, संगीत, साहित्य और कला में कोई निष्णात हुई हैं, तो वे हमारे अनुसूचित जाति, जनजातियों के लोग हुए हैं। आठ प्रतिशत जनजातियां हैं, लेकिन आज क्या स्थिति है? 98 प्रतिशत आतंकवाद और विद्रोह केवल उन आठ प्रतिशत जनजातियों में क्यों हैं? पूरा पूर्वांचल दहक रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : तरुण जी, धन्यवाद।

श्री तरुण विजय : उन क्षेत्रों में हम क्या लेकर जा रहे हैं? ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : तरुण जी, समाप्त कीजिए। Please conclud.

श्री तरुण विजय : हम ये कागज लेकर जा रहे हैं कि देखो, हम तुमसे कितना स्नेह रखते हैं। महोदय, यह दलित वर्ग भारत का असली पूज्यपाद वर्ग है और यह जो अहंकारी जाति के आधार पर भेदभाव करने वाला वर्ग है, यह भारत को पीछे ले जाने वाला वर्ग है। यह जो विद्रोह की ज्वाला है, यह इनके भीतर विकास की एक रोशनी पैदा करे, केवल तब जाकर इस प्रकार के अमेंडमेंट्स, इस प्रकार के विधेयक, इस प्रकार के संशोधन पूरे होंगे। यह राजनीतिक छुआछूत से बड़ी छुआछूत है, जिसके कारण भारत हमेशा पीछे रहा है। अगर हम मनुष्य का मनुष्य के साथ जाति के आधार पर भेदभाव समाप्त नहीं कर सकते, तो ये विवेकानन्द, वेद, उपनिषद्, ज्ञान, मंदिर सब व्यर्थ हैं। मंत्री महोदय, आपसे यही निवेदन है कि कृपया इस वर्ग को आगे लाने के लिए अपना सर्वोपरि ध्यान दें, जिसमें पूरा सदन आपका साथ देगा, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : धन्यवाद। श्री विशम्भर प्रसाद निषाद।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद। मैं समाजवादी पार्टी के अपने सदन के नेता माननीय प्रोफेसर साहब, हमारे मुख्य सचेतक श्री नरेश अग्रवाल जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझे पार्टी की तरफ से “संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014” पर संशोधन प्रस्ताव रखने और बोलने का मौका दिया है। महोदय, यह जो बिल आया है, इसमें केरल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम चार राज्यों की कुछ जातियों की पर्यायवाची जातियों को जोड़ा गया है। महोदय, श्री पी.एल. पुनिया साहब कांग्रेस की तरफ से बोल रहे थे, तरुण विजय की भाजपा की तरफ से बोल रहे थे, मैं उनको बड़े गौर से सुन रहा था कि आज विषमता है, उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद हुए सड़सठ साल हो गए हैं, लेकिन जो जातियाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा था। संविधान बना था कि दस साल में संविधान में संशोधन किया जाएगा, जो जातियाँ समकक्ष हो जाएंगी, उनको डिलीट करके, जो जातियाँ बहुत पीछे हैं, उनको आगे लाने का काम किया जाएगा, लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने भारत सरकार की एजेंसी, “अनुसूचित जाति/जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान” से करीब सत्रह जिलों का सर्वे कराकर बिंदुवार पूरी रिपोर्ट भेजने का काम किया है।

मान्यवर, मैं यह देख रहा हूँ कि अभी तक यह सरकार उस पर कोई कार्य नहीं कर रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बेलदार, बिन्द की पर्यायवाची जाति, मैंने उसको जोड़ने के लिए कहा है, गोंड के साथ गोड़िया, कहार, कश्यप, बाथम, जो 36 नंबर पर है, वह इनकी पर्यायवाची जाति है। 53 नंबर पर मझवार है, मल्लाह, केवट, मांझी, निषाद, मछुवा की पर्यायवाची जाति है। 59 नंबर पर पासी, तरमाली, भर, राजभर की उपजाति है, 65 नंबर पर शिल्पकार, कुम्हार, प्रजापति की पर्यायवाची जाति है, 66 पर तुरैहा, तुरहा, धीमर, धीवर की उपजाति है। मैंने इन जातियों को इसमें रखे जाने के लिए एक छोटा सा संशोधन दिया है।

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

महोदय, उत्तर प्रदेश की जो 17 पिछड़ी जातियां हैं, जिनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति पिछड़ी हुई है, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी तथा मछुआ को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु “एस.सी./एस.टी. शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान” द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। मान्यवर, यह प्रस्ताव एक बार नहीं, कई बार भेजा गया है। 10.03.2004 को, 31.12.2004 को माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने; 16.05.2006 को, 06.11.2006 को, 12.01.2007 को 4.3.2008 को और आखिर में 15.02.2013 को, इतने प्रस्ताव भेजे गए हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार रही, अब इनकी सरकार है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। यहां ये जातियां निवास कर रही हैं, जिनकी आबादी 8 प्रतिशत से अधिक है। देश के विभिन्न राज्यों में मछुआ समुदाय की उपजातियों का खान-पान, रहन-सहन, शादी-ब्याह, रीति-रिवाज एक जैसा है तथा उनका एक-दूसरे से रोटी-बेटी का सम्बन्ध है, जो एक-दूसरे के पर्यायवाची पुकारू नाम से जानी जाती हैं। असम में जलकुअट, झालो-मालो, कैबर्ता जातियां; पश्चिमी बंगाल में बिन्द, जालिया, कैबर्त, झालो-मालो, केउट, केयोट, महार मल्लाह; दिल्ली में मल्लाह; त्रिपुरा में जालिया कैबर्ता, कहार, केउट; उत्तराखंड में बेलदार, गोड, मझवार; मध्य प्रदेश में कीर, खैरवार, मांझी, मझवार तथा उत्तर प्रदेश में गोड, बेलदार, मझवार, तुरैहा, ...(समय की घंटी)... महाराष्ट्र में कोली, तमाम जातियां अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित हैं और उनकी उपजातियों से रोटी-बेटी का रिश्ता है। मछली शहर के लोक सभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो मल्लाह अनुसूचित जाति के हैं, जो आज सांसद हैं, लेकिन उनकी उपजातियों को अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में विधान सभा और लोक सभा के लिए मछुआ समुदाय के तमाम लोग चुनाव लड़ते हैं और वे विधान सभा में विधायक भी हैं, लेकिन उनकी उपजातियों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिल रही है। मान्यवर, केन्द्र व प्रदेश में नौकरियों में भागीदारी न होने के कारण, आरक्षण न मिलने के कारण और राजनीति में भागीदारी न मिलने के कारण इन जातियों के न तो आई.ए.एस. हैं, न तो पी.सी.एस. हैं और न आई.पी.एस. हैं। अभी जब लोक सभा में 27.11.2014 को यह बिल आया था, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने माननीय मंत्री जी के सामने संशोधन रखा था। उन्होंने कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, बिन्द, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, मछुआ, मांझी को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए संशोधन की मांग की थी। मान्यवर, मैं उनको बधाई देता हूं। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 10 अक्टूबर 2005 को एक शासन आदेश जारी कर दिया था। ...(समय की घंटी)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : विशम्भर जी, आप अब समाप्त कीजिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, मैंने संशोधन भी रखा है और हमारा समय है।

इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो सर्वे रिपोर्ट भेजी है, उस पर माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिए।

अभी भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद बोल रहे थे। हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं कि क्यों नहीं आप मंदिरों में हमारे निषाद समाज के लोगों को पुजारी बना देते हैं, दलित समाज के लोगों को पुजारी बना देते हैं? केवल भाषण देने से, इनके वोट लेने से काम नहीं चलेगा। आप वोट लेने के लिए इनसे कहते हैं कि हम तुम्हारी उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे, तुमको ये-ये लाभ देंगे, पिछड़ी जाति के लोगों को आप यह सब बताने का काम करते हैं, **...(समय की घंटी)...** लेकिन जब इनको लाभ देने का मौका आता है, जब इनको नौकरी देने का मौका आता है, तो आप इनको किनारे करने का काम करते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY) : Now, Shri D. Bandyopadhyay. You have three minutes.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिपोर्ट भेजी, यह इतनी मोटी रिपोर्ट है। यह शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भारत सरकार की एजेंसी है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : अब आप बस कीजिए। **...(व्यवधान)...**

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : 17 जिलों की रिपोर्ट बना कर भेज दी गई है। अभी तक इनकी सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं मांग करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY) : Please.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मैं माननी मंत्री जी से मांग करता हूं, पूरे सदन से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इनको अनुसूचित जाति में शामिल करने का जो प्रस्ताव आया है और मैंने जो संशोधन दिया है, उनको यथास्थिति मान लिया जाए और उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। यह मेरी मांग है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Please start.
...(Interruptions)...

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : चूंकि संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड 2 में नियम है कि अनुसूचित जातियों की इन पर्यायवाची जातियों को इसमें जोड़ा जा सकता है, जिनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति खराब है। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): We have time constraint. Kindly appreciate. **...(Interruptions)...** Mr. Bandyopadhyay.
...(Interruptions)... I have already called Mr. Bandyopadhyay.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मैं मंत्री से मांग करता हूं कि वे मेरी मांग पर विचार करें। धन्यवाद।

SHRI D. BANDYOPADHYAY (West Bengal): Sir, I rise to support the Bill. Sir, persons belonging to the Scheduled Castes have been victims of exploitation for generations. Putting them under the Schedule may give them some protection but it is not sufficient to compensate them for the deprivation of centuries. Hence, what is required is a major plan for their comprehensive social, economic and educational rehabilitation. I know that a reply would be that there is a SC Sub Plan: Scheduled Castes Sub Plan. But, in reality, that sub-plan is an amalgamation of disjointed schemes relating to the Scheduled Castes of different sectors. There is no overall planning, taking into consideration the history and the ground realities of socio-economic and educational situation of these people. The stigma heaped upon them for centuries cannot be washed away by a few schemes of different Ministries. I know that the word planning, currently, is a dirty word. But, without a serious planning, there would be no succour to our brothers and sisters whom we contemptuously call 'Scheduled Castes'. I would request the Government, through you, Sir, that let them come up with a comprehensive plan and not an amalgamation of some disjointed schemes and call it a Scheduled Castes' Plan. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Thank you so much. You have finished it before time. Dr. Anil Kumar Sahani. Your time is also three minutes.

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे “संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014” पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए इस बिल के विषय में मैं कुछ विशेष बिन्दुओं पर ही अपने विचार रखूंगा। अभी हमारे जो माननीय सदस्यगण बोल रहे थे, उनका समर्थन करते हुए, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के सामने ...(व्यवधान)...

माननीय मंत्री महोदय, हमारे बिहार के सदस्यों की ओर से आज बहुत सारी बातें रखी गई हैं। बहुत सारी जातियों को अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल करने के लिए आपके पास बहुत बार रिकमेंडेशन भेजी जा चुकी हैं, जिन्हें लालू प्रसाद जी की सरकार के समय में, डॉ. जगन्नाथ मिश्रा जी की सरकार के समय में, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार के समय में पहले भी भेजा जा चुका है, मगर आज तक उन्हें अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल नहीं किया गया है।

अभी हमारे श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार से भी आपको तांती, ततवां, कहार, चन्द्रवंशी, मल्लाह, मछुआ, निषाद, नाई, कानू, कुम्हार, प्रजापति, धानूक, तुरहा, नोनियां, बिन्द इत्यादि जातियों को अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल करने के लिए रिकमेंडेशन भेजी जा चुकी है। 1980 में श्री योगन्द्र मकवाना जी के समय से ही, चाहे वह

कांग्रेस की सरकार रही हो अथवा कोई और सरकार रही हो, आज तक इन जातियों को अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी में शामिल करने का काम नहीं किया गया है। बिहार की ये जातियां सदियों से उपेक्षित हैं। एक तो वैसे ही बिहार पिछड़े राज्य के नाम से जाना जाता है, वहां भी पिछड़ों में अति-पिछड़ा के नाम से इन जातियों के लोग जाने जाते हैं। आप जाकर उनका रहन-सहन, खान-पान, भाषा-बोली और घर-द्वार देखिए, अनुसूचित जाति/जनजाति में और उनमें क्या अंतर है? आप स्वयं सर्वेक्षण करवाकर देख लीजिए कि ये जातियां वहां कितने निम्न स्तर पर रह रही हैं।

जहां तक छुआछूत की बात है, तो छुआछूत के आधार पर आपने असम, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा या दिल्ली में निषाद, मल्लाह या मछुआ समाज को अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी में रखा हुआ है, जैसा कि अभी हमारे श्री पुनिया साहब बोल रहे थे। इसी प्रकार से अन्य स्टेट्स में भी आपने इन जातियों को अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी में रखा हुआ है। हमारे यहां की ऐसी बहुत सारी जातियां हैं, जो दूसरे राज्यों में अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी में आती हैं, मगर कुछ राज्यों में, चाहे जो भी राजनीतिक कारण रहे हों, आपने उनको अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी में नहीं रखा है। इसमें आप संशोधन कीजिए। आपको जनता ने बहुमत दिया है। जिस गरीब-गुरबा समाज ने आपको बहुमत देकर सत्ता में भेजा है, वह समाज आज आपसे उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि आने वाले दिनों में आप उन जातियों को भी अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल करेंगे।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि लोहिया जी और अम्बेडकर जी ने यह सपना देखा था कि हमें समानता लानी है। आप भी समानता लाने की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी वित्त मंत्री जी कुछ दिन पहले एक बयान दे रहे थे कि क्या हम लोगों को रियायत वाली एल.पी.जी. गैस लेनी चाहिए? मैं उसी प्रकार से समानता लाने के लिए आपके माध्यम से इस सदन को एक विचार देना चाहता हूं। मैं आपके सामने एक विचार रखना चाहता हूं। **...(समय की घंटी)...** सर, अभी मेरा एक मिनट का टाइम बाकी है। **...(समय की घंटी)...** अभी एक मिनट बाकी है, सर।

मैं आपको एक विचार देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अनुसूचित जाति, जनजाति के हैं और जो इसका लाभ उठा चुके हैं, उनको लाभ नहीं मिले। **...(समय की घंटी)...** इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इसका लाभ गरीबों को मिल सके। **...(समय की घंटी)...**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY) : It is automatic....(Interruptions)... साहनी जी, अब आप समाप्त कीजिए।

डा. अनिल कुमार साहनी : आज बहुत सारे परिवार इसका लाभ उठाते हैं। वहीं पर ओ.बी.सी. पर एक रिपोर्ट आई है, जिसे अभी पढ़ना जरूरी है। सर, मुझे एक मिनट का समय दिया जाए। The ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions की जो रिपोर्ट आई है, उसमें ग्रुप 'ए', ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'सी' में

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

किस प्रकार के ओ.बी.सी., शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का रिप्रेजेंटेशन कहीं 8 परसेंट, कहीं 6 परसेंट और कहीं 1 परसेंट है, तो इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना होता। साथ ही, मैं न्यायपालिका में भी आरक्षण की मांग करता हूँ। आप इसके मंत्री हैं। मैं सभा के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे अन्य लोगों ने जो बात उठाई है, आप न्यायपालिका में भी आरक्षण की पहल करें, तब जाकर असली सामाजिक न्याय आएगा, इस देश में असली सामाजिक न्याय आएगा। अगर आपको वोट मिले हैं, तो इस ओर कार्रवाई करें। जय हिन्द।

SHRI K.R. ARJUNAN (Tamil Nadu): Sir, I feel proud to express my views in this august House with regard to the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014.

With sincere respect for our beloved hon. Dr. Puratchi Thalaivi Amma, I would like to draw your attention to one of the important issues of the hilly district of the Nilgiris. I would like to voice my concern for the Dalit Christians and the Badaga community in this august House.

The Bill seeks to include some communities in the list of Scheduled Castes which belong to the States of Kerala, Madhya Pradesh, Odisha and Tripura. It also intends to remove a community from the list of Scheduled Castes which belongs to the State of Sikkim.

The Nilgiris is a tribal heritage district of the tribes, namely, Badagas, Thodas, Kotas, Kurumbas, Irulas, Paniyas and Kattu Nayakars. The Madras Census 1901 states that the Badaga community in the Nilgiris district of Tamil Nadu is a tribe. The 1911 Census indicates that Badagas are Hindu animists speaking tribal mother tongue which is called 'Badagu'. The 1931 Census says that the Badagas are primitive and important tribes of the Nilgiris. The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 had its norms for the tribal Badagas to be a Scheduled Tribe. But it was not taken up.

The first Backward Classes Commission Report of 1955 recommended that the Tribal Badagas should be treated as Scheduled Tribes. It was not accepted. In both the cases, the reasons are unknown.

On 5th September 2003, the then hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma had strongly recommended a detailed analysis of various attributes contained in Article 342 (2) of the Constitution regarding Badaga Community such as primitive tribes, distinctive culture, shyness of conduct with the public at large, geographical isolation and economic backwardness to declare them as a Scheduled Tribe to the concerned authorities of the Central Government.

6.00 P.M.

In this regard, on 28th July 2011, hon. Amma again sent a letter to the then hon. Prime Minister of India stating the long-pending request of the Badaga community in the Nilgiris District of Tamil Nadu to include them in the list of Scheduled Tribes. This issue has been pending for a long time.

I request the hon. Minister to take up this matter to restore the tribal status of the Badagas by including them in the list of Scheduled Tribes as early as possible. Based on the recommendation of hon. Amma and the Government of Tamil Nadu, the Central Government had already included the Narikoravan community belonging to Tamil Nadu in the list of Scheduled Tribes. I express my sincere thanks in this regard.

I would like to highlight here the demand of Dalit Christians in the country for their inclusion in the list of Scheduled Castes. Sir, the Ranganath Misra Commission had recommended inclusion of Dalit Christians in the list of Scheduled Castes in its Report submitted way back in 2007. The then Government had also stated in the hon. Supreme Court in 2008 that the Government would finalise its decision concerning the Ranganath Misra Commission Report. It has also been a demand of our beloved leader, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, to include Dalit Christians in Tamil Nadu in the list of Scheduled Castes. Our kind-hearted leader, Dr. Amma, many times in the past, had sent several communications to the incumbent Governments urging them to include the Dalit Christians in the list of Scheduled Castes. Therefore, I urge upon the hon. Minister to take a decision on it urgently as demanded by our beloved leader, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, and as committed by the Government in the hon. Supreme Court on Ranganath Misra Commission Report.

As demanded by our hon. leader, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, I urge the Central Government to immediately include the Badagas in the Scheduled Tribes list and Dalit Christians in the Scheduled Castes list.

With these words, I support this Bill. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, Shrimati Jharna Das Baidya.

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, आप यहां पर रूल्स कमेटी का एक प्रस्ताव लाए थे कि हाउस 6 बजे तक चलेगा। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, yes. I am going to do that. Thank you for reminding me.

SHRI NARESH AGRAWAL: You have not said that. ...*(Interruptions)*... सर, इसे कल कर दीजिए। ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have raised a pertinent point. It is 6.00 p.m. Now, it is for us to decide. ...*(Interruptions)*... I will see. ...*(Interruptions)*... It is an important Bill. Please listen. ...*(Interruptions)*... There are 5-6 speakers. I will give 3-4 minutes each. It will be done in another 45 minutes. ...*(Interruptions)*... It is an important Bill. Let us pass this. ...*(Interruptions)*...

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी) : सर, इसको आज कम्प्लीट कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। ...*(व्यवधान)*... It is a very important Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Listen, already, we have lost almost a week. So, let us compensate and pass this Bill. ...*(Interruptions)*... Then, we will take up Special Mentions. ...*(Interruptions)*... If everybody sticks to three minutes, we can pass it by 6.30 p.m. ...*(Interruptions)*... CPI(M) has two minutes; BJD has two minutes; Others have five minutes, but they have three speakers. ...*(Interruptions)*... So, I would give three minutes to everybody. ...*(Interruptions)*... I cannot allow more than that. ...*(Interruptions)*... That is the allotted time. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, let me make a submission. Sitting in the Chair, you are saying that it is an important Bill, but you want everybody to conclude in three minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Because everybody is supporting this.

SHRI D. RAJA: Sir, when we discuss the problems related to Scheduled Castes, the most depressed sections of the society, time constraint should not be an issue. That is what I am saying.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will explain to you your own logic. If I see a difference of opinion about this Bill, I will certainly allow more time, but you all are supporting this. So, let us pass this Bill. Take three minutes each. Next speaker is Shrimati Jharna Das Baidya; three minutes.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (Tripura): Sir, first of all, I would like to support the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014. While supporting this, I would like to suggest some things to be included. The communities of Dhoba, Shabdakar and Baidyakar in the case of Tripura are enlisted as SCs. I would

like to draw the attention of the House to the fact that Dhoba, Shabdakar and Baidyakar communities are already enlisted in the SC list in our State, Tripura, but they are not getting unskilled occupation stipend. So, it is our earnest request, through you, Sir, that the Government should look into this matter.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Has no one spoken on behalf of BSP? ...*(Interruptions)*... Then come. Why did you not give it earlier? ...*(Interruptions)*... This is an exception. You should give name in time.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA: Once the Bill becomes the Act, it is required to ensure that all the new categories of communities should get the benefits of what people were getting earlier. They should get the benefits immediately. Again I have some suggestions to give. There are so many loopholes in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act. I strongly demand that the Government should take necessary steps to remove them. There should be reservation in the public sector, as well as, in the private sector, and I hope that the Government would look into this matter. In case of recruitment and promotion, there should be uniformity in the law throughout our country.

Another suggestion is that there has been a constant demand for increasing the stipend for students, as well as, the yearly limit of family income of people belonging to the Scheduled Castes. At present, it is ₹2,50,000. My demand is that it should be increased up to ₹5,00,000.

It is necessary that there should be a change in our understanding. In some cases, according to the National Human Rights Commission, every year, in our country 22,237 people die at the time of clearing the waste of the people. Nearly 22 people die inside the drains every day and most of them are from Scheduled Castes.

If we want to sincerely uplift the Scheduled Caste communities we should look after them properly.

Thank you.

श्री दिलीप कुमार तिकी (ओडिशा) : माननीय उपसभापति जी, मुझे इस बिल पर आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। महोदय, इस बिल से ओडिशा की अमाथ, बाईजा, जगली और बूना पानो जैसी जातियों को एस.सी. लिस्ट में शामिल करने की बहुत पुरानी मांग पूरी हुई है। यह बहुत जरूरी कदम था। ये जातियाँ काफी पिछड़ी और आर्थिक रूप से काफी कमजोर थीं और इस लिस्ट में शामिल होने का इनका हक था।

[श्री दिलीप कुमार तिकी]

मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि ओडिशा सरकार ने इन जातियों के अलावा भी कई दूसरी जातियों को एस.सी. लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की है। मेरे पास कई एस.सी. जातियों की लिस्ट है। मैं इसे अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, इसे मैं बाद में मंत्री जी को दे दूंगा। मेरा अनुरोध है कि इस पर ध्यान दिया जाए। कई बार जाति के नाम में मामूली हेरफेर से कुछ समुदाय एस.सी. लिस्ट में शामिल होने से वंचित हो रहे हैं। मैं अपने इलाके में ऐसे परिवारों को जानता हूँ जो एस.सी. लिस्ट में हैं, लेकिन उनके अन्य सदस्य जो कि कुछ ही दूरी पर रहते हैं, वे एस.सी. लिस्ट में शामिल नहीं हैं, जिसके कारण एस.सी. योजनाओं के तहत उनको जितना लाभ मिलना चाहिए, उससे वे वंचित हो रहे हैं। इसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस लिस्ट को भी एक बार ठीक से स्टडी कर लिया जाए।

इसके अलावा, आज केन्द्र सरकार को विभिन्न विभागों और पी.एस.यूज में एस.सी./एस.टी. कोटे के पद बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं। इन पदों को भरने के लिए आप स्पेशल ड्राइव चलाइए, तभी ऐसे संशोधनों का असली फायदा होगा। सर, कई बार ऐसी रिपोर्ट आती है और हमें सुनने को मिलता है कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान फंड और ट्राइबल सब प्लान, जो कि एस.सी./एस.टी. लोगों की कम्युनिटीज के डेवलपमेंट, उनकी एजुकेशन व हेल्थ के लिए होते हैं, उनको डायवर्ट कर दिया जाता है, जो कि काफी दुःख की बात है। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए।

सर, आज देश में एस.सीज/एस.टीज पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, यह बहुत चिन्ता की बात है। इसको रोकने के लिए एक बिल लाया गया था, जो कि स्टैंडिंग कमिटी के पास है, इसलिए उसको भी जल्द पास कराया जाए।

महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज सरकारी नौकरियों की संख्या बहुत कम है, जिससे 10 प्रतिशत से ज्यादा लोग सरकारी नौकरियों में नहीं जाते हैं। इसलिए अगर हम सचमुच एस.सी.एस.टी. डेवलपमेंट चाहते हैं, उनका विकास चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में उनके लिए आरक्षण लागू करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कहूंगा कि अमेरिका जैसे विकसित देश में आज भी अश्वेतों के लिए अफर्मेटिव एक्शन के नाम से आरक्षण की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से उनके जो लोग हैं, वे मुख्य धारा में पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री का जो नारा है, “सबका साथ, सबका विकास” वह तभी साकार होगा जब एस.सी., एस.टी. वर्ग के जो लोग हैं, वे मुख्य धारा में आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Next is Shri Pyarimohan Mohapatra. You come in the ‘Others’ category. There are three names. Total time is five minutes, but I am giving three minutes each. Please adhere to it.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA (Odisha): Sir, unlike other colleagues of mine across the Benches, I am not going to dwell on the developmental aspects on the subject of Scheduled Castes. All the political parties and all Governments since

Independence have forgotten Gandhiji's prescriptions to do something for the welfare of the Scheduled Castes and to bring them into the mainstream, basically, to get rid of 'caste'. But caste nowadays has become a type of business with all political parties and it has become a vote bank. All people shout Dalit, Dalit, Dalit and there are various Dalit *sangathans* and Dalit organizations; all political parties including ourselves exploit them for vote bank. We should look into ourselves instead of merely shedding crocodile tears as if we are really concerned about all Scheduled Castes and their welfare. So that is one aspect. The second aspect is about introspection. I want to ask when we recognize a 'Pano', -- here, I am referring to these names -- how could we forget that Buna Pano? Somebody, some R.Is and Patwaris will write something and we sit here to amend the Constitution. This is what it has come to. R.Is and Patwaris will write Buna Pano instead of Pano and Parliament will sit here to discuss it. The matter will go to the Scheduled Castes Commission; then it will go to the Registrar General and हर जगह है, everywhere there is भ्रष्टाचार. I am giving an example of the Kesura Caste. Their people came and went around all these offices and because they did not 'oil the machine', the file went up and down and then disappeared. When I was checking out that file, I was told that the file was missing. This is what it comes to in every case. I would like to tell one thing to the Prime Minister. Before becoming Prime Minister, he was the Chief Minister for a long time, so he understands the problem at the grassroots level. Let him take appropriate steps to get rid of this percentage system and commissions in Government of India. Then this problem will also get sorted out. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much for sticking to time. Now, Shri D. Raja.

SHRI D. RAJA: Sir, this Bill has a very limited purpose. While supporting this Bill, I wish to raise certain key issues related to the welfare of the Scheduled Castes. There are new demands from different States for the inclusion of several castes under the Scheduled Castes List. The experience of untouchability, poverty, social, educational and economic backwardness and political marginal assertions must be the criteria for the inclusion of certain castes within the Scheduled Castes List. What do we intend to do? What is the purpose of this Bill? It is to ensure access to education and employment for these people. It means you will have to strengthen the policy of reservation. But what is happening? There is a Bill pending before the Parliament. There is a demand for a comprehensive legislation for reservation. But it is not coming up. There is a demand for reservation in the private sector. But the Parliament has no control on the private sector. Nobody can

[Shri D. Raja]

argue that the private sector is pursuing a non-discriminatory recruitment policy. So, the demand for a comprehensive policy on reservation has come up. Now, I am asking the Minister and the Government: are you prepared to bring this Bill as early as possible? What is your timeframe? You are a new Government. Please tell us the timeframe that within three months or within six months or within one year your Government will bring a comprehensive Bill on reservation. The previous Government did not do it. We have been demanding it. They did not do it. Now you are in power. We are asking: are you prepared to give us a timeframe for this? The other issue is regarding reservation in promotion. The very same House passed a Bill, but it could not become legislation. Now, as a Government, are you ready?

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: We had opposed it.

SHRI D. RAJA: You opposed it. But despite opposition from some parties, this House had passed that Bill. That is a fact. Now as a Government, what is your thinking on this issue? Are you prepared to get this Bill passed? I agree with Shri Punia on many issues. He raised the issue of the Scheduled Castes Component Plan and the Tribal Sub Plan. I am not getting into that. But the point is, yes, there are two State Governments which have passed this legislation, the Andhra Pradesh Government and the Karnataka Government. There is a demand that there should be a Central legislation on this issue, the Scheduled Castes Component Plan and the Tribal Sub Plan. Now the Planning Commission is dismantled. What is your slogan? Your slogan is '*Sabka Saath, Sabka Vikas*'. It is the most deceptive slogan given by your Government. What happens to the Scheduled Castes Component Plan and the Tribal Sub Plan? This is a very important issue. Now we are adding new castes in the Scheduled Caste List. The population of the Scheduled Castes has gone up and the population of the Tribals has also gone up. Is the Government thinking to provide reservation proportionate to their population? There is a Supreme Court ceiling that reservation should not be more than 50 per cent. In the case of SC and ST, it is already 22.5 per cent and in the case of OBCs, it is 27 per cent. How are you going to address this question? The Government will have to take a position, will have to go in for a review of the Supreme Court judgement. You will have to think it over. Finally, these are all temporary and transitory measures for the welfare of the Scheduled Castes. I stand by what Dr. Ambedkar had said for annihilation of caste. I would like to see an India without caste and without untouchability. But for that we all should work together. This Bill is a transitory and temporary effort in that direction. Thank you.

SHRI S. THANGAVELU (Tamil Nadu): Sir, social discrimination is the most

severe crime. It is the worst form of human discrimination. Still it is being practised. People, belonging to the Scheduled Castes category, have been suffering this for decades. Articles 15, 46 and 341 are specific provisions of the Constitution of India which ensures well-beingness of the Scheduled Caste population.

Our party leader, Dr. Kalaignar, sustained the Dravidian Movement initiated by Perarignar Anna way back in 1920 itself. In the erstwhile Madras Presidency, a G.O. was passed providing reservation in employment for socially and economically backward people. Sir, our party leader, Dr. Kalaignar, always remained the Messiah of masses. He always strived hard for the uplift of downtrodden people. Advancement of socially and economically backward people always remained close to his heart, and he always did his best to the deprived classes. Under our leader, Dr. Kalaignar's Chief Ministership in Tamil Nadu, our Government increased the reservation for the Scheduled Castes from 16 per cent to 18 per cent. Not only this, he also made a separate provision of one per cent reservation for the Scheduled Tribes as well.

Sir, the exclusion or inclusion of a particular caste in or removal from the List of Scheduled Castes is a very complex process. The various agencies involved in this complex process take their own time and a lot of time is consumed in this complex process. So I suggest to the Minister to conceive such a process which is very simple and the entire process of including or removing the name of the caste from the list is completed within six months of time.

Sir, ours is a welfare State, and we have to be very caring and responsive to the needs of the Scheduled Castes. Their uplift, emancipation and advancement are in the hands of the Government. The Government alone can play a constructive role in reaching benefits to them. So, I urge upon the Minister to formulate a simpler process in this regard and see to it that the entire process is completed within six months' time. Only then can the Scheduled Castes get all the benefits of reservation by way of education, employment and meet their other basic needs.

With these vital submissions, I support the Bill and I would urge upon the Minister to look into the suggestions of completing the process in a time-bound manner. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now I am allowing Shri Ambeth Rajan for three minutes. But, kindly remember, I got the name late. I would request Whips of parties to give their Members' names before we start the discussion or, at least, by the time we start so that the Chair can manage the time. Time management has become very difficult. Now I am allowing you, Mr. Rajan, as an exception. But your Whip should give the names in advance. And take only three minutes.

SHRI AMBETH RAJAN (Uttar Pradesh): Sir, I have only to make three points in three minutes. I am thankful to my Party National Leader, Kumari Mayawatiji, for giving me an opportunity to submit my party's views on the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014. I also thank you, Sir, for permitting me specially.

Sir, because of Dr. B.R. Ambedkar's tireless efforts and contribution, all the socially downtrodden people were brought under the ambit of the Constitution. Article 341 provides for identification of the Scheduled Castes and provides them all the benefits meant for them.

Sir, at the time when the Constitution came into effect, a Scheduled Caste Order also came into effect. After that, Presidential Orders were proclaimed from time to time. Subsequently, several Amendments were made. Few more Amendments are pending. By including new Scheduled Castes in the List, naturally, population of the Scheduled Castes has increased. Coverage under reservation also has increased. So I urge upon the Government to increase the percentage of reservation. I would like to know from the Minister what the population of the Scheduled Castes State-wise, after inclusion of other Castes into the List, is. Sir, I have one more point. There should be a one-time arrangement to identify castes. Instead of making frequent amendments, make it a one time arrangement. Instead of passing it to different organizations, make provisions for all organizations to sit together to easily dispose of the matter in a time bound manner. Permanent one time arrangement will prevent all political gains behind caste politics.

Sir, I want to raise another important issue which is concerning bogus certificates. This needs to be curbed. Then only genuine persons can get benefit from this. One time arrangement, as I mentioned earlier, will certainly resolve this issue. I request the Government to consider this also.

Sir, as Shri Raja and Shri Punia said, many pending bills are there. Sir, another important thing I wish to bring to the knowledge of this august House is, Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Bill and Reservation in Promotions Bill are pending for a long time. Government should take necessary steps to pass these two important legislations in the interest of Scheduled Castes. With these few submissions, I support this Bill.

श्री नंद कुमार साय (छत्तीसगढ़) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके निर्देश से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, बहुत सारे विषय यहां पर हमारे मित्रों ने कहे हैं, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहां पर रखना चाहता हूं। हमारे एक मित्र ने कहा कि जो clerical mistakes हैं, जातियों को जब लिखा जाता है, तो वे कुछ भी लिख देते हैं और इसलिए फिर संविधान या दोनों हाउसेज से जब पारित होगा, तब ही गड़बड़ी ठीक होगी। माननीय मंत्री जी, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जातियों को लिखने वाले लोग पढ़े-लिखे और अच्छे हों। मध्य प्रदेश में जो हमारी जनजातियां थीं, जिनको आरक्षण मिल रहा था, छत्तीसगढ़ में आने के बाद लिखा-पढ़ी में गड़बड़ हो गई और वे दस-दस साल से घूम रहे हैं। इसलिए लिखने में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए कोई और तरीका ढूंढिए। यह सारी गड़बड़ी अंग्रेजी के कारण होती है। हमारे यहां एक “खड़िया” जाति होती थी, इसको Kharia लिख दिया जाए या Khariya लिख दिया जाए, तो यह खरिया भी है और खड़िया भी है। उसको हिन्दी में “खरिया लिख दिया गया और दस साल तक हम उसके लिए लड़ते रहे, पिछले साल उसको ठीक किया जा सका। इसलिए मेरा निवेदन है कि जातियों को जहां आप लिखें, अगर अंग्रेजी में लिखना आवश्यक है तो उसके बगल में हिन्दी में भी लिखना सुनिश्चित करें ताकि इस तरह की गड़बड़ियां न हो सकें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : That is correct.

श्री नंद कुमार साय : जहां पर लोकल भाषा है, वहां पर आप दोनों भाषाओं में लिखें क्योंकि इसके कारण बहुत गड़बड़ी हो रही है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : It is a very good suggestion. In Karala also, one caste was left out.

श्री वैष्णव परिडा (ओडिशा) : दूसरे स्टेट्स में वहां की रीजनल लैंग्वेज में भी लिख देना चाहिए।

श्री नंद कुमार साय : मैं भी वही कर रहा हूं कि रीजनल लैंग्वेज में भी उसे लिखें। इसमें आदेश करें ताकि ऐसी गड़बड़ी न हो सके। दोनों जगह अनिवार्य कर दें कि regional language plus Hindi. जहां-जहां जो भाषा है, उसके बगल में अंग्रेजी के साथ उस भाषा में लिखें। अंग्रेजी में तो लिखते कुछ हैं और पढ़ते कुछ हैं। इस अंग्रेजी ने हमारी अनुसूचित जातियों और जनजातियों को चौपट कर दिया है।

सर, दूसरा मुझे * जाति प्रमाण-पत्र के बारे में कहना है कि गलत लोग हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। हमारे यहां तो हजारों लोग आ गए हैं, जो आदिवासी नहीं हैं और आदिवासी होने का * प्रणाम-पत्र बनवा कर बड़े-बड़े पदों पर बैठे हैं। मैं आपको एक बड़ी घटना बता रहा हूं, शायद आपकी जानकारी में है या नहीं कि मैं ग्यारह साल से एक इलेक्शन पिटीशन लड़ रहा हूं, अभी तक उसका निर्णय नहीं हुआ। यह * प्रमाण-पत्र के खिलाफ है। जिस जगह से मैंने चुनाव लड़ा था, वहां से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वे यहां के सदस्य नहीं हैं, तो उन्होंने वहां से * प्रमाण-पत्र पर चुनाव लड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन किया है कि हाई पावर्ड कमेटी इसकी जांच

* Expunged as ordered by the Chair.

[श्री नंद कुमार साय]

करके इसका निर्णय करेगी और वह मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। हमारी पिटीशन भी चल रही है। हाई पावर्ड कमेटी ने लगभग तय कर दिया है कि उसकी जाति संदिग्ध है। लेकिन निर्णय नहीं हुआ। 11 साल हो गए हैं। महोदय, हमारे दोनों मंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कोई न कोई कठोर कानून बनाएं, ताकि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न न हों। महोदय, मैं दो मिनट का समय और लूंगा। ...**(व्यवधान)**... भाई, सब लोगों ने समय लिया है, मैं केवल दो मिनट और लेना चाहता हूं।

श्री उपसभापति : आप बोलिए, टाइम वेस्ट मत करिए। आप बोलिए।

श्री नंद कुमार साय : मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां इन सारी गड़बड़ियों को रोकने के लिए कठोर कानून बनें। सामाजिक स्तर पर जो यह छुआछूत है, इसको बिल्कुल खत्म करने की जरूरत है। यह कहीं भी नहीं रहना चाहिए। जिस देश में हम पूरे संसार को परिवार मानते हैं - अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् - वहां इस जाति को छोटा और उस जाति को बड़ा कैसे किया जा सकता है? हमारे भगवान का अवतार वाराह में हुआ है, जो सबसे छोटा और गलत माना जाता है। किसी चिंतन में, किसी विचार में यह नहीं होना चाहिए और छुआछूत की भावना समाप्त होनी चाहिए। जिस तरह से विचार किया गया है, उससे यह देश आगे कैसे बढ़ेगा? इस महान राष्ट्र को अगर फिर से जगत गुरु बनाना है तो समानता, एकता और बंधुत्व के भाव को मज़बूत करना पड़ेगा। सर, आप सिर हिला रहे हैं। मैं जानता हूं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं इस पर बहुत अच्छा बोल सकता हूं।

श्री उपसभापति : आप अच्छा बोल रहे हैं।

श्री नंद कुमार साय : मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं भी छुआछूत की बात दिखाई नहीं देनी चाहिए। यह इस समाज में क्यों पैदा हुआ है, कहां पर है, इसको दूर करके एक अच्छा भाव पूरे देश में बने। आज जिस तरह से सारे संसार का वातावरण बना हुआ है, इस समय पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है। मानवता का मार्गदर्शन करने वाला दुनिया में कोई राष्ट्र नहीं है, केवल यही राष्ट्र है, जहां से विश्व को मानवता का मार्ग दिखाया जा सकता है। इसीलिए मनु ने कहा था कि “एतद् देशे प्रसूतस्य, शकासाद् अग्रजन्मना, स्वं-स्वं चरित्रं शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानवाः”। मानवता की श्रेष्ठ विद्या को और गुण को बताने के लिए गंगा, यमुना के किनारे पैदा होने वाले ऋषि पुत्रों, तुम्हें इस पूरे संसार में जाना पड़ेगा। हम छुआछूत में यहां पर पर भ्रमित हैं।

एक माननीय सदस्य : गए हैं, मोदी जी गए हैं, पहुंच गए हैं।

श्री नंद कुमार साय : जी, वे गए हैं। ...**(समय की घंटी)**... इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा ...**(व्यवधान)**...

DR. K.P. RAMALINGAM : It is not only Ganga and Yamuna but also Cauvery in South.

श्री नंद कुमार साय : जी, गंगा, यमुना, कावेरी। गंगे! च यमुने! चैव गोदावरी! सरस्वती! नर्मदे! सिन्धु! कावेरी! जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा, यमुना के ...(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति : धन्यवाद। अब समाप्त करिए।

श्री नंद कुमार साय : इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग भी सामूहिक स्तर पर मुहिम चलाएं कि अब हिन्दुस्तान में कोई जाति नहीं रहेगी, केवल मानव जाति रहेगी और पूरी दुनिया को इसका पाठ भी पढ़ाएगी। इसी निवेदन के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो नकली जातियाँ हैं, उनको हटाओ और एक मज़बूत कानून बनाओ। मैं डी. राजा जी से सहमत हूँ कि एक व्यापक विधेयक लाने की आवश्यकता है, इस पर भी हमें आगे विचार करना पड़ेगा। महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री उपसभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा बोले। Now, Shri Hussain Dalwai and then Shri Munavvr Saleem. If both of you stick to two minutes each only then I will call you. You have to take only two minutes each. Now, Shri Hussain Dalwai.

श्री हुसैन दलवाई (महाराष्ट्र) : धन्यवाद सर, मुझे दो मिनट दिए गए हैं। मैं दो मिनट में केवल दो मुद्दे रखना चाहता हूँ। एक तो जो बात हो रही है, वह बहुत अच्छी है, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन मुझे हमेशा एक बात महसूस हुई कि मुसलमानों में भी दलित हैं, Christians में भी दलित हैं, लेकिन कांस्टीट्यूशन में अगर दलित कहा जाता है तो केवल हिन्दू दलित हैं, जिसमें सिख आते हैं, बौद्ध आते हैं, लेकिन इन दो जातियों के लोग नहीं आते। अभी नक्रवी साहब मौजूद नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : वे मौजूद हैं।

श्री हुसैन दलवाई : मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान जब मस्जिद में जाता है तो एक रक़ात में निज़ाम और हज्जाम नमाज़ जरूर पढ़ते हैं, लेकिन मस्जिद से बाहर आने के बाद निज़ाम निज़ाम रहता है और हज्जाम, हज्जाम रहता है। उनमें कोई शादी-ब्याह नहीं होता, कोई जगह तो खाना-पीना भी नहीं देते। इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं है, इसका मतलब देश में नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह के घर में जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन अल्लाह के घर से बाहर आने के बाद इंसान जाति व्यवस्था को मानता है। मेहतर समाज है, आदिवासी है, दलित है। जो मुसलमान और क्रिश्चियन है, उनमें शादी-ब्याह भी नहीं होता है, उन्हें इसमें शामिल क्यों नहीं किया जाता है, यह मेरा सवाल है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बिल आप लाए हैं, वह ठीक है, आप इसको पास करिए, हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन बहुत सारी जातियाँ अभी इससे बाहर हैं। महाराष्ट्र से बहुत से निवेदन यहां आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन पर बहस नहीं हो रही है। ...(व्यवधान)... तेलंगाना से भी आए हैं। मैं मंत्री जी से यह विनती करूंगा कि आप एक बिल लाइए जिसमें दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियंस को भी सम्मिलित कीजिए। नहीं तो एक तरह का अन्याय हम लोग जारी रखेंगे और यह अन्याय होना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। इस बात को

[श्री हुसैन दलवाई]

ऊपर की जाति का कोई मुसलमान या क्रिश्चियन नहीं उठाता है।...(समय की घंटी)... इस बात को नीचे की जाति के मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं उठाते हैं। आप इसको करिए, यह मेरी विनती है।

श्री उपसभापति : चौधरी मुनवर सलीम। आपको सिर्फ दो मिनट बोलना है।

चौधरी मुनवर सलीम (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश से उनका रिश्ता है। मध्य प्रदेश का एक जिला विदिशा है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ और उससे सटा हुआ दूसरा जिला रायसेन है। हम समाजवादियों ने इस लड़ाई को आठ-दस साल तक लड़ा। वहाँ देखने में आता है कि धोबी समाज के लोग एस.टी. में आते हैं, उनको रिजर्वेशन के फायदे रायसेन में मिलते हैं और विदिशा के लोगों को नहीं मिलते हैं। ऐसा मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में है। मैं यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि एक ओर जहाँ मुस्लिम दलितों का ध्यान रिजर्वेशन के अंदर रखना चाहिए, उनके लिए इसका प्रावधान करना चाहिए, वहीं धोबी समाज के लोग मध्य प्रदेश और दीगर स्टेट में भी अगर इस व्यथा को झेल रहे हैं, तो उन्हें एस.टी. में शामिल किया जाना चाहिए। मेरा विदिशा इसे झेल रहा है, इसलिए मैं इस बात को कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश से हैं, ज्यादा जिलों के बारे में वे खुद भी जानते होंगे और वे इसको शामिल करें।

چودھری منور سلیم (اترپردیش) : مائیتے آپ سبھاپتی مہودے، میں آپ کی وساطت سے مائیتے منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ مدھیہ پردیش سے ان کا رشتہ ہے۔ مدھیہ پردیش کا ایک ضلع ودیشہ ہے، جہاں کا میں رہنے والا ہوں اور اس سے سٹا ہوا دوسرا ضلع رائے سین ہے۔ ہم سماجوا دیوں نے اس لڑائی کو آٹھ دس سال تک لڑا۔ وہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ دھوبی سماج کے لوگ ایس ٹی میں آتے ہیں، ان کو ریزرویشن کے فائدے رائے سین میں ملتے ہیں اور ودیشہ کے لوگوں کو نہیں ملتے ہیں۔ ایسا مدھیہ پردیش کے بہت سارے ضلعوں میں ہے۔ میں یہ کہنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں کہ ایک طرف جہاں مسلم دلتوں کا دھین ریزرویشن کے اندر رکھنا چاہئے، ان کے لئے اس کا پراودھان کرنا چاہئے۔ وہیں دھوبی سماج کے لوگ مدھیہ پردیش اور دیگر اسٹیٹ میں بھی اگر مسئلہ کو جھیل رہے ہیں، تو انہیں ایس ٹی میں شامل کیا جانا چاہئے۔ میرا ودیشہ اسے جھیل رہا ہے اس لئے میں اس بات کو کہنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ مائیتے منتری جی مدھیہ پردیش سے ہیں، زیادہ ضلعوں کے بارے میں وہ خود بھی جانتے ہونگے اور وہ اس کو شامل کریں۔

(ختم شد)

श्री थावर चन्द गहलोत : उपसभापति महोदय, अनेक माननीय सांसदों ने संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 पर अपने विचार व्यक्त किए और सभी ने इसका समर्थन किया। उन्होंने समर्थन के साथ-साथ अनेक बिन्दुओं की चर्चा भी की, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और संक्षिप्त में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। एस.सी. में मिलाने के जो नार्म्स हैं, वे तो स्पष्ट हैं -- सामाजिक, शैक्षणिक और जातिगत पिछड़ापन होने का एक

मानक है और इस मानक को आधार बनाकर संविधान में अनुसूचित जाति की परिभाषा निर्धारित की गई है। उसी के अनुसार हम जातियों का समावेश करते हैं। श्री पी.एल. पुनिया साहब ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जातियां, अलग-अलग रूप में लिस्टिड हैं। यह बात सही है कि एक ही राज्य में, एक जाति कुछ जिलों में अनुसूचित जाति है, कुछ जिलों में ओ.बी.सी. है और कुछ जिलों में अनुसूचित जनजाति भी है, जैसा कि अभी चौधरी मुनव्वर सलीम साहब बोल रहे थे। यह समस्या है। जब यह लिस्ट तैयार हो रही थी, उस समय उस जाति का स्टेटस और रहन-सहन का उस समय के लोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला उसके आधार पर वह सूची बन गई। जब इस प्रकार की जातियों की अनुसूचित जाति में मिलाने के लिए चर्चा होती है या प्रस्ताव की बात होती है, तो सबसे पहले राज्य सरकार उस विचार-विमर्श करती है। जब राज्य सरकार उस मापदंड के हिसाब से उपयुक्त समझती है, तो वह प्रस्ताव करती है। उसका प्रस्ताव भारत सरकार के पास आता है, संबंधित मंत्रालय के पास आता है और उस पर मंत्रालय आर.जी.आई. से राय लेता है। अगर आर.जी.आई. की सहमति मिलती है, तो वह उसे अनुसूचित जाति आयोग के पास राय के लिए भेजता है। जब इन सबकी सहमति हो जाती है, तो फिर उसमें सम्मिलित कर लेते हैं, जैसे आज यह विधेयक आया है। जब राज्यों से सहमति नहीं आती है या प्रस्ताव नहीं आता है, तो हम नहीं कर पाते हैं। दूसरा, अगर आर.जी.आई. उस समय के जो मापदंड हैं उनकी तुलना करके इन्कार कर देता है, तो हम नहीं कर पाते हैं या फिर अनुसूचित जाति आयोग असहमति व्यक्त करता है, तो हमें यह सब करने में कठिनाई होती है। बहुत से और प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं। एक विधेयक इसी सदन में पिछले सत्र में हमने प्रस्तुत किया है। यह मंत्रालय की स्थाई समिति के पास विचाराधीन है। उसमें हरियाणा आदि प्रदेशों की कुछ जातियों के नाम हैं। आरक्षण में तथा उसके प्रतिशत में वृद्धि करने की बात कही गई। अभी उचित फॉर्म पर कोई लीगल तरीके से इसकी चर्चा नहीं है, परन्तु हमने इस दिशा में कुछ सोचा है, विचार किया है और हमारे विभाग में इस विषय पर विचार-विमर्श जारी है। हमें उम्मीद है कि हम इसको आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे।

पुनिया साहब ने कहा है कि सरकार की सोच भी अच्छी होनी चाहिए। साहब, आप निश्चित मानिए, सरकार की सोच बहुत अच्छी है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक हर क्षेत्र में इन वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले और केवल प्रतिनिधित्व ही न मिले, तो कुछ माननीय सदस्यों ने यह उल्लेख किया था कि आय में बहुत बड़ा आनुपातिक अंतर है। मैं इससे सहमत हूँ। हिन्दुस्तान में एक परिवार ऐसा भी है, जो दस रुपए रोज की नौकरी प्राप्त नहीं कर रहा है और दूसरा परिवार ऐसा है, जो दस करोड़ रोज नेट प्रॉफिट कर रहा है या इससे भी ज्यादा करता है। यह जो आनुपातिक अंतर है, यह चिंता का विषय है। इस विषय पर हम गंभीरता से विचार करने की कोशिश प्रारंभ कर चुके हैं और करेंगे क्योंकि यह आनुपातिक अंतर अगर कम नहीं होगा, तो यह बहुत बड़ी चिंता का कारण बनेगा। हो सकता है कि अमीर और गरीब अलग-अलग वर्गों में बंट जाए और कहीं न कहीं उसका नुकसान जाति, समाज और देश को हो। इस स्थिति से बचने के लिए कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। जहां आप हैं, वहां आप भी अपने स्तर पर उनको राजी करें। जहां हम हैं, वहां हम भी अपने स्तर पर राजी करेंगे। यह गैर-बराबरी का अंतर मिटना चाहिए। अगर यह अंतर नहीं मिटेगा, तो हम चाहे कुछ भी कर लें, ये चिंता और परेशानियां बनी ही रहेंगी। मैं यहां पर उसका राजनीतिकरण करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। जैसा मैंने कहा है कि यह जो आनुपातिक अंतर है, यह देश की आजादी के बाद सुधारा जा सकता था,

[श्री थावर चन्द गहलोत]

लेकिन जितना प्रयास किया जाना चाहिए था, वह नहीं हुआ, इस कारण यह बढ़ता जा रहा है। हम सबको इस दिशा में मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है और करना भी चाहिए। आपने SC sub plan की बात कही है। यह योजना अनुसूचित जाति वर्ग के हित संरक्षण के लिए ही बनी है। कई राज्यों में इसका दुरुपयोग भी हुआ है और इसकी धनराशि डायवर्ट भी की गई है। हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। जब दिल्ली में पिछली बार कॉमनवैल्थ गेम्स हुए थे, तो इस मद के 744 करोड़ रुपये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बनाने में तथा अन्य और किसी काम में खर्च कर दिए। जब पूछताछ हुई तो कहा गया कि SC के लोग भी तो वहां जाएंगे। अब इस प्रकार का उत्तर आया है। भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ी न हो, इस दिशा में कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है और आन्ध्र प्रदेश और कर्णाटक ने इस दिशा में कोई एक्ट बनाकर प्रयास प्रारंभ किया है। अब सफलता कितनी मिली है, इसका विश्लेषण, आकलन और मूल्यांकन करने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे, परन्तु इस प्रकार की आवश्यकता है।

यह भी कहा गया है कि बैकलॉग पूरा करना चाहिए। मैं इससे सहमत हूं। यह बैकलॉग और भर्ती, कार्मिक प्रशासनिक विभाग का सीधा-सीधा काम है, हम उनके साथ हर समय संपर्क बनाते हैं और कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करते हैं। हम इस बारे में उनको पत्र भी लिखते हैं और राज्यों से संबंधित नौकरियों के लिए राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखते हैं। इतना ही नहीं, हमने अभी 22 व 23 अगस्त को राज्यों के मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों के साथ और सेक्रेटरीज के साथ एक तरह की मैराथन बैठक की है। हमने इन सब विषयों पर चर्चा की है और आग्रह किया है। इसमें चाहे अनुसूचित जाति के लिए छात्रवृत्ति की बात हो, उच्च शिक्षा में आर्थिक सहयोग की बात हो, विदेश में पढ़ने की बात हो या सफाई कर्मचारियों को अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की तरफ से और जो सुविधाएं दी जाती हैं, इन सब सुविधाओं का लाभ उनको मिले और वे तेजी से आगे बढ़ें और अन्य वर्गों की बराबरी में आने का प्रयास करें, हमने इस दिशा में चुस्ती-दुरुस्ती से काम किया है। आज मैं यह कह सकता हूं, शायद आप भी यह महसूस कर रहे होंगे कि हमने इस विभाग को आई.सी.यू. से बाहर निकालकर स्वस्थ करने का प्रयास किया है। हमने इस दिशा में तेज गति से अभियान प्रारंभ किया है। मैं वे आंकड़े नहीं बताना चाहता हूं, नहीं तो 2013-14 में इस अवधि तक केवल 661 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि हमने 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा की स्वीकृतियां सभी राज्यों को देने का काम किया है। मैं इसको बहुत ज्यादा विस्तार नहीं देना चाहता हूं, यह विषय केवल इस बात से जुड़ा है कि कुछ जातियों को उनके पर्यायवाची नाम से पुकारा जाता है, इसलिए उनको जोड़ा जाए। यह बिल इसके लिए ही आया है...(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र बुढानिया (राजस्थान) : आप राजनीति कर रहे हैं। आप बिल पास कर दें, इस पर सभी का समर्थन है।

श्री थावर चन्द गहलोत : बिल ही तो पास करा रहे हैं। जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन पर थोड़ा-थोड़ा उत्तर तो देना होगा। यदि आप कहते हैं, अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं, अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं सीधे ही उपसभापति महोदय से निवेदन करता हूं कि इस बिल को पास कराइए।...(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र बुढानिया : आप दूसरे इश्यू पर आ गए हैं, हम इसको पास कराने के लिए तैयार हैं।

श्री उपसभापति : बुढानिया जी बैठिए।

श्री थावर चन्द गहलोत : सरकारी नौकरियों में आरक्षण और प्रमोशन में आरक्षण का विषय भी आया है। मेरी सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के आरक्षण की पक्षधर थी, है और रहेगी और इसका उदाहरण राज्य सभा में प्रमोशन में आरक्षण के बिल को स्वीकृति देने में हमारा सहयोग रहा है। लोक सभा की क्या परिस्थिति बनी थी, यह आपसे और हम से छिपी नहीं है। लोक सभा में वर्तमान परिस्थिति में कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है, ...(व्यवधान)... और हम उसको करने का प्रयास करेंगे। निजी संस्थान में आरक्षण की व्यवस्था की लंबे समय से मांग उठ रही है, इस पर उस सरकार में भी विचार-विमर्श जारी था, पिछले पंद्रह वर्षों से जारी है और आज भी जारी है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि हम इस चर्चा में निरंतर प्रगतिरत हैं।

उसी प्रकार से ज्यूडिशियरी आदि में भी ये मामले हैं। आप और हम परिस्थिति को देख रहे हैं। परिस्थिति में अनुकूल वातावरण कैसे बने, इस दिशा में आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ इस मामले में सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ। तरुण विजय जी ने छुआछूत मिटाने की बात कही है और कहा है कि यह मिटना चाहिए। छुआछूत मिटाने की दृष्टि से और अगर कोई छुआछूत के आधार पर कोई आपराधिक कृत्य करता है, तो उसके लिए “एट्रोसिटी ऐक्ट” बना हुआ है। जहां इस प्रकार की कोई घटना होती है और सामने आती है, तो पीड़ित व्यक्ति को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देने का काम भी किया जाता है। विशम्भर प्रसाद जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने ऐसी बात कही है कि कई जातियाँ प्रस्तावित की गई हैं ...(व्यवधान)...

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश) : सत्रह जातियाँ हैं।

श्री अरविन्द कुमार सिंह : उनको एस.सी./एस.टी. जातियों में शामिल करें।

श्री थावर चन्द गहलोत : वह किया था, परंतु मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। कुछ प्रस्तावों पर जब आर.जी.आई. ने असहमति व्यक्त की और हमारे विभाग ने इसकी सूचना दी तो हमने आर.जी.आई. के उस पत्र के तारतम्य में राज्य सरकार से कुछ क्वेरीज़ जानना चाही कि आर.जी.आई. यह-यह चाहता है, आप इस संबंध में जानकारी दें। तब उन्होंने जानकारी देने के बजाय प्रस्ताव ही विदग्ध कर लिया। उसके बाद जिन 17 और जातियों को सम्मिलित करने के प्रस्ताव आए हैं, उनमें भी ठीक यही स्थिति है। आर.जी.आई. ने असहमति व्यक्त की तो हमारे मंत्रालय की ओर से उत्तर प्रदेश की सरकार को पत्र भेजकर यह अनुरोध किया गया कि आर.जी.आई. इन-इन बातों पर स्पष्टीकरण चाहती है, आपके पास इस संबंध में और कोई जानकारी हो और यदि आप उसको हमें देंगे तो अच्छा होगा। हमने यह अगस्त में लिखा था, लेकिन अभी तक ...(व्यवधान)...

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, हम इनसे यह स्पष्टीकरण चाहते हैं कि जब अस्पृश्यता कानून बन गया, आर.जी.आई. बार-बार मांगता है ...**(व्यवधान)**... उनको सरकार बढ़ावा दे रही है। ...**(व्यवधान)**... कितने परसेंट छुआछूत जातियों में है वह इसी को मांगता है। जब अस्पृश्यता अधिनियम बन गया है, तो छुआछूत का ब्यौरा नहीं मांगा जाना चाहिए इसे सत्य किया जाए।

श्री थावर चन्द गहलोत : सर, मैं बता सकता हूँ कि हमने 23.03.2014 को राज्य सरकार को इन सब जातियों के संबंध में आर.जी.आई. की रिपोर्ट से अवगत कराकर रिपोर्ट मांगी है। अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जब राज्य सरकार से रिपोर्ट आ जाएगी, तो इस पर आगे विचार करेंगे।

इसके साथ-ही-साथ जो-जो अन्य सुझाव आए हैं, हम उन पर विचार करेंगे। मैंने सब-प्लान की बात बता दी है, बहुत सारे कॉमन सुझाव हैं। बिहार के प्रस्ताव की चर्चा आई है। बिहार से अभी-अभी प्रस्ताव आए हैं और वे विचाराधीन हैं। हमने उन्हें आर.जी.आई. के पास भेजा है। जब हमारे पास आर.जी.आई. का प्रतिवेदन आएगा, तो हम सरकार के साथ बातचीत करेंगे।

डा. अनिल कुमार साहनी : बिहार से तो कई बार प्रस्ताव आया है। बिहार से 1980 से ही प्रस्ताव आ रहा है। आप आर.जी.आई. और सब जगह इसे भेजते रहिएगा, तब तो यह कभी नहीं होगा।

श्री थावर चन्द गहलोत : हमारे पास 4-5 जातियों को सम्मिलित करने के लिए अभी-अभी प्रस्ताव आया है। जैसा मैंने बताया कि हमने इसे आर.जी.आई. के पास भेजा है। आर.जी.आई. का प्रतिवेदन आने के बाद, उनकी राय क्या आती है, उस पर हम आगे की कार्यवाई करेंगे। मैंने बताया कि कुछ जातियों के प्रस्ताव अभी हमारे पास विचाराधीन हैं, मैं उनकी सूची भी बता सकता हूँ कि कौन-कौन सी उपजातियाँ हैं, परन्तु निश्चित रूप से जो-जो प्रस्ताव हमारे पास आए हैं, हम उन सब पर विचार करते हैं। उन पर विचार करने के बाद जब आर.जी.आई. की सहमति और आयोग की सहमति हो जाती है, तो हम उस पर सहमति देकर विधेयक प्रस्तुत कर देते हैं। मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**... मैं सोचता हूँ कि माननीय सदस्यों ने जो-जो मुद्दे उठाए थे, मैंने उन सब मुद्दों का उत्तर दिया है। मैं इतना ही कह सकता हूँ ...**(व्यवधान)**...

चौधरी मुनव्वर सलीम : सर, हम सब लोगों ने समर्थन दिया है।

چودھری منور سلیم : سر، ہم سب لوگوں نے سمر تھن دیا ہے۔

श्री थावर चन्द गहलोत : कि सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के हित संरक्षण की हितैषी है। उनको सामाजिक सुरक्षा देना, भेदभाव मिटाना और आनुपातिक आय में जो अन्तर है, उसको ठीक करने की दिशा में भी हम सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। मुझे सदन से यह निवेदन करना है कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री हुसैन दलवाई : सर, मेरा एक सवाल है। हमने दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियंस का सवाल उठाया था, उसके ऊपर आपने कुछ नहीं कहा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He said all proposals will be considered. That is what he said ...*(Interruptions)*... Isn't it?

श्री थावर चन्द गहलोत : सर, निवेदन यह है कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जिन वर्गों को अनुसूचित जाति में माना गया है, उनमें ये दोनों वर्ग नहीं आते हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के बाद अगर कोई परिस्थिति होगी, तो विचार किया जाएगा, अन्यथा सरकार अभी इस मामले में सहमत नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is clear. It is under the consideration of the Supreme Court of India. Mr. Dalwai, you wait for that. ...*(Interruptions)*... That is what he is saying. Okay, that is fine.

SHRI HUSAIN DALWAI: Okay. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. In Clause 2, there is one amendment (No.1) by Shri Vishambhar Prasad Nishad and Dr. Anil Kumar Sahani. Are you moving your amendment?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : उपसभापति महोदय, हमने जो संशोधन दिया है और उत्तर प्रदेश की जो रिपोर्ट आई है, उसमें इथनोग्राफिक सर्वेक्षण आख्या में उक्त जातियों के नागरिकों को भी अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु वांछित विशिष्टताएं, योग्यताएं व अहर्ताएं रखती है को मानते हुए अपनी प्रबल संस्तुति केन्द्र सरकार को 12.03.2014 को भेजी गयी है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you moving your amendment?

**Clause 2 – Amendment of Constitution (Scheduled Castes)
Order, 1950**

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(1) पृष्ठ 2, पंक्ति 24 के के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

(ड) भाग 18 - उत्तर प्रदेश में -

(i) प्रविष्टि 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए -

“18. बेलदार, बिन्द”

(ii) प्रविष्टि 36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए -

“36. गोंड, गोड़िया, कहार, कश्यप, बाथम”

(iii) प्रविष्टि 53 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए -

“53. मझवार, मल्लाह, केवट, मांझी, निषाद, मछुवा ”

(iv) प्रविष्टि 59 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए -

“59. पासी, तरमाली, भर, राजभर”

(v) प्रविष्टि 65 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए -

“65. शिल्पकार, कुम्हार, प्रजापति”

(vi) प्रविष्टि 66 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए -

“66. तुरैहा, तुरहा, धीमर, धीवर”

श्री उपसभापति : आपने अमेंडमेंट मूव कर दिया। Now, Dr. Anil Kumar Sahani.

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

(1) पृष्ठ 2, पंक्ति 24 के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किए जाएं,

अर्थात्:-

(ड) भाग 18 - उत्तर प्रदेश में -

(i) प्रविष्टि 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए -

“18. बेलदार, बिन्द”

(ii) प्रविष्टि 36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए -

“36. गोंड, गोड़िया, कहार, कश्यप, बाथम ”

(iii) प्रविष्टि 53 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए -

“53. मझवार, मल्लाह, केवट, मांझी, निषाद, मछुवा”

(iv) प्रविष्टि 59 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए –

“59. पासी, तरमाली, भर, राजभर”

(v) प्रविष्टि 65 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए –

“65. शिल्पकार, कुम्हार, प्रजापति”

(vi) प्रविष्टि 66 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए –

“66. तुरैहा, तुरहा, धीमर, धीवर”

श्री उपसभापति : ठीक है, आप दोनों ने अमेंडमेंट मूव कर दिया। Now, I shall put the Amendment (No. 1) to vote.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री थावर चन्द गहलोत : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

SPECIAL MENTIONS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, admitted Special Mentions. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, I have an observation to make. While all the Members were expressing their viewpoints, one of the respected Member kept referring to ‘ऊंचे लोग - नीचे लोग’. I think, if we, as parliamentarians, are going to use such language, how are we expecting any change? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will go through the record, if there is anything objectionable, I will delete it.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, please do.